

परिशिष्ट सारणी 57: निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

निर्यात ऋण	प्रभावी दरें												
	01 जनवरी, 1998	30 अप्रैल, 1998	06 अगस्त, 1998	01 अप्रैल, 1999	29 अक्टूबर, 1999	26 मई, 2000	06 जनवरी, 2001	05 मई, 2001#	26 सितंबर, 2001#	18 मई, 2004 #	01 मई, 2006 #	01 जून, 2008 #	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. पोतलदानपूर्व ऋण*													
i) 180 दिन तक	12.00	11.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	
ii) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक	14.00	14.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-0.5प्र.अं.	स्वतंत्र	स्वतंत्र	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.**	
iii) 90 दिन तक ईसीजीसी गारंटी से कवर हुए सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन के प्रति	12.00	11.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	
2. पोतलदानोत्तर ऋण*													
i) मार्गस्थ अवधि के मांग बिल (फेडरॉई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट)	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	
ii) मीयादी बिल (कुल अवधि के लिए, जिसमें निर्यात बिला की मीयादी अवधि, फेडरॉई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मार्गस्थ अवधि और छूट अवधि, और छूट अवधि, जहां लागू है)	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	
क) 90 दिन तक	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	
ख) पोतलदान के दिनांक से 90 दिन से अधिक और छह माह तक	13.00	13.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-0.5प्र.अं.	स्वतंत्र	स्वतंत्र	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.**	
ग) पोतलदान के दिनांक से छह माह से अधिक (न्यून)	20.00	\$											
घ) गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत निर्यातकों के लिए 365 दिन तक										≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	
iii) ईसीजीसी गारंटी में कवर हुए सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन के प्रति के प्रति (90 दिन तक)	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	
iv) अनाहरित शेष पर (90 दिन तक)	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	
v) पोतलदान के दिनांक से एक वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि (आपूर्ति भाग के लिए ही के प्रति (90 दिन तक)	≤11.00	≤11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	
3. आस्थगित ऋण													
180 दिन से अधिक के आस्थगित ऋण के लिए	स्वतंत्र (एफडीए)	स्वतंत्र (एफडीए)	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	
4. अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया निर्यात ऋण													
क) पोतलदानपूर्व ऋण		स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	@	@	
ख) पोतलदानोत्तर ऋण (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	स्वतंत्र	25.00 (न्यून)	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	@	@	

एफडीए : अग्रिम के दिनांक से न्यून : न्यूनतम पीएलआर : मुख्य उधार दर बीपीएलआर : बैंचमार्क मुख्य उधार दर. ≤ : से अधिक — : लागू नहीं प्र. अं. : प्रतिशत अंक
 \$: बहुत पुराने मामले, अर्थात् 1 जुलाई 1997 के अतिदेय को छूट दी गई है। # : ये उच्चतम दरें हैं, बैंकों को उच्चतम दरों से नीचे की दरें लगाने की छूट होगी। * : उल्लिखित अवधि से अधिक की उपयुक्त श्रेणियों के लिए ब्याज दरें 1 मई 2006 से मुक्त हैं।
 @ : बैंक अपनी स्वयं की दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। ** ब्याज दर बैंकिंग ऋण के लिए 15 नवंबर 2008 से और लवोनोत्तर ऋण के लिए 28 नवंबर, 2008 से प्रभावी।

टिप्पणी : 1. 'स्वतंत्र' का अर्थ यह है कि बैंक बीपीएलआर और स्पेड दिशानिर्देश को ध्यान में रखकर ब्याज दरें लगा सकते हैं।
 2. भारत सरकार ने निम्नानुसार कुछ रोजगार अनुकूल निर्यात क्षेत्रों (i) वस्त्र; (हतकरघा सहित) (ii) हस्तशिल्प वस्तुएं; (iii) गलीचा (iv) चमड़ा; (v) रत्न तथा आभूषण; (vi) समुद्र उत्पाद; (vii) लघु तथा मध्यम उद्यमों को दिए जानेवाली पोत-लदान और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरों की 2 प्रतिशत छूट को 1 अप्रैल 2007 से 30 सितंबर 2008 तक और विस्तारित किया है :। तदनुसार बैंक उक्त क्षेत्रों के 1 जुलाई 2007 से सितंबर 30 सितंबर 2008 तक के अवधि के 180 दिन तक के पोत-लदान पूर्व तथा 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर बकाया ऋण पर - बीपीएलआर से 4.5 / 6.5 प्रतिशत अंक घटाकर-से अनधिक ब्याज लगाएंगे। लेकिन, कुल छूट इस शर्त के अधीन होगी कि छूट के बाद ब्याज दर 7 प्रतिशत के दर से कम न होगा जो दर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को लागू है। इस योजना को 30 सितंबर 2008 से समाप्त कर दिया गया है।
 3. भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2008 से 31 मार्च 2009 तक एक नई योजना शुरू की है जिसके द्वारा निम्नानुसार कुछ रोजगार अनुकूल निर्यात क्षेत्रों (i) वस्त्र; (हतकरघा सहित) (ii) हस्तशिल्प वस्तुएं; (iii) गलीचा; (iv) चमड़ा; (v) रत्न तथा आभूषण; (vi) समुद्री उत्पाद; और (vii) लघु तथा मध्यम उद्यमों को पोत-लदान और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरों की 2 प्रतिशत छूट दी जाएगी। तदनुसार बैंक उक्त क्षेत्रों की 1 दिसंबर 2008 से 31 मार्च 2009 तक के अवधि के 270 दिन तक के पोत-लदान पूर्व तथा 180 दिनों तक के पोतलदानोत्तर बकाया ऋण पर-बीपीएलआर से 4.5 प्रतिशत अंक घटाकर-से अनधिक ब्याज लगाएंगे। लेकिन, कुल छूट इस शर्त के अधीन होगी कि छूट के बाद ब्याज दर 7 प्रतिशत के दर से कम न होगा जो दर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को लागू है।
 4. भारत सरकार ने ब्याज दर पर दिए जाने वाले उक्त छूट को 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक और बढ़ाया है।